तारीख हुक्म	हुक्म मय कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **प्रकरण संख्या :–56/2015** **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/3/22	पत्रावली पेश हुई। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं रिपोर्ट तहसीलदार झुन्झुनूं का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। तहसीलदार झुन्झुनूं ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि ग्राम आदर्श नगर की भूमि खसरा नम्बर 214 से 220 में फसल काश्त होने से नापजोख किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम आदर्श नगर की भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 0.70, खसरा नम्बर 20 रकबा 2 हैक्टर, खसरा नम्बर 214 रकबा 0.01, खसरा नम्बर 215 रकबा 0.68 हैक्टर, खसरा नम्बर 216 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 217 रकबा 0.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 218 रकबा 0.03 हैक्टर, खसरा नम्बर 219 रकबा 0.48 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 220 रकबा 0.40 हैक्टर के वर्तमान नक्शे को गत नक्शा के अनुसार शुद्ध करने हेतु निवेदन किया है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संलग्न नक्शे में खसरा नम्बर 13 व 20 का नक्शा उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण ने गत खसरा नम्बर 196 के अनुसार नया नक्शा दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया है जबकि आवेदक ने नया नक्शा किस खसरा नम्बर का एवं कितना रकबा कम/ज्यादा है एवं किस खसरा नम्बर में कम/ज्यादा होगा, का उल्लेख नहीं किया है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के नक्शे में परिवर्तन करने पर प्रभावित काश्तकारों को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। इन खसरों के खातेदारों को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है, जो कि प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार हैं। अतः प्रभावित आवश्यक पक्षकारों के असंयोजन के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर झुन्झुनूं (राज.)	